



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु

क्रमांक : राजस्व / 2015 /
प्रतिपत्र सं. 22 / 2015

दिनांक - 9.7.2015

श्रीमती सन्तोषकंवर पुत्री भंवरसिंह पत्नी श्री ओंकारसिंह जाति राजपूत नि० झारिया हाल नि० कोटवाद टिब्बा तहसील चूरु

-प्रार्थी-

बनाम

1. भंवरसिंह मुत्र शैतानसिंह जाति राजपूत नि० झारिया तहसील व जिला चूरु
2. भोपालसिंह पुत्र शैतानसिंह जाति राजपूत नि० झारिया तहसील व जिला चूरु हाल नि० वार्ड नं. 1, हनुमानगढ़ जंक्शन तह० व जिला हनुमानगढ़
3. श्रीमती विमला कंवर पुत्री भंवरसिंह पत्नी समुद्रसिंह जाति राजपूत नि० झारिया हाल नि० कोटवाद टिब्बा तह० व जिला चूरु
4. ईश्वरीसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत नि० झारिया तहसील व जिला चूरु
5. मगनाकंवर पुत्र भंवरसिंह पत्नी औमसिंह जाति राजपूत नि० झारिया हाल नि० चलकोई बनीरोतान तह० व जिला चूरु
6. ममता कंवर पुत्री भंवरसिंह पत्नी आसुसिंह जाति राजपूत नि० झारिया हाल नि० कोहिना तहसील तारानगर
7. सुशीला कंवर पुत्री भंवरसिंह पत्नी औमसिंह जाति राजपूत नि० झारिया हाल नि० कोहिना तहसील तारानगर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरु
9. उप पंजीयक, चूरु
10. देवीसिंह पुत्र शैतानसिंह जाति राजपूत नि० झारिया हाल निवासी वार्ड नं. 43, हनुमानगढ़ जंक्शन

- अप्रार्थीगण -

अन्तरिम निषेधाज्ञा

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई । पत्रावली पर पेश दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया, प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त अप्रार्थी सं. 10 के पक्ष का प्रतीत होता है। अतः अंतरिम निषेधाज्ञा बहक अप्रार्थी सं. 10 खिलाफ अप्रार्थीगण सं. 1 ता 9 इस आशय का जारी किया जाता है कि आराजी खसरा नं. 517, 46 व 508 रोही झारिया में से नोशनल शेयर के अनुसार अप्रार्थी सं. 10 के हिस्से को आगामी तारीख पेशी 7.10.2015 तक रहन, बय व मुन्तकिल नहीं करें तथा वादगत कृषि भूमि के किसी हिस्सा विशेष पर अन्य व्यक्ति का कब्जा आदि नहीं करवायें। अप्रार्थीगण को कोई उजर या आपति हो तो असालतन या वकालतन आगामी पेशी दिनांक 7.10.2015 को इस न्यायालय में उपस्थित आकर पेश करें।

अंतरिम निषेधाज्ञा आज दिनांक 9.7.2015 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चूरु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु

क्रमांक : राजस्व / 2015 /
प्रा0पत्र सं. / 2015

दिनांक-18.6.2015

श्रीमती सन्तोषकंवर पुत्री भंवरसिंह पत्नी श्री ओंकारसिंह जाति राजपूत नि0 झारिया हाल नि0 कोटवाड टिब्बा तहसील चूरु

-प्रार्थी-

बनाम

1. भंवरसिंह पुत्र शैतानसिंह जाति राजपूत नि0 झारिया तहसील व जिला चूरु
2. भोपालसिंह पुत्र शैतानसिंह जाति राजपूत नि0 झारिया तहसील व जिला चूरु हाल नि0 वार्ड नं. 1, हनुमानगढ जंक्शन तह0 व जिला हनुमानगढ
3. श्रीमती विमला कंवर पुत्री भंवरसिंह पत्नी समुद्रसिंह जाति राजपूत नि0 झारिया हाल नि0 कोटवाड टिब्बा तह0 व जिला चूरु
4. ईश्वरीसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत नि0 झारिया तहसील व जिला चूरु
5. मगनाकंवर पुत्र भंवरसिंह पत्नी औमसिंह जाति राजपूत नि0 झारिया हाल नि0 चलकोई बनीरोतान तह0 व जिला चूरु
6. ममता कंवर पुत्री भंवरसिंह पत्नी आसुसिंह जाति राजपूत नि0 झारिया हाल नि0 कोहिना तहसील तारानगर
7. सुशीला कंवर पुत्री भंवरसिंह पत्नी औमसिंह जाति राजपूत नि0 झारिया हाल नि0 कोहिना तहसील तारानगर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरु
9. उप पंजीयक, चूरु

- अप्रार्थीगण -

अन्तरिम निषेधाज्ञा

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर वकील प्रार्थीनी की बहस सुनी गई । पत्रावली पर पेश दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया, प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीनी के पक्ष का प्रतीत होता है। अतः अंतरिम निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीनी खिलाफ अप्रार्थीगण इस आशय का जारी किया जाता है कि आराजी खसरा नं. 517, 46 व 508 रोहि झारिया में से नोशनल शेयर के अनुसार प्रार्थीनी के हिस्से तक आगामी तारीख पेशी 9.7.2015 तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें । अप्रार्थीगण को कोई उजर या आपत्ति हो तो असालतन या वकालतन आगामी पेशी दिनांक 9.7.2015 को इस न्यायालय में उपस्थित आकर पेश करें।

अंतरिम निषेधाज्ञा आज दिनांक 18.6.2015 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।



उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड चूरु
चूरु